F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. : 1141 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1141

विषय / Sub : मल्टी आउटपुट पॉवर सप्लाई, पार्ट सं. वीडीएस 1001 056 81
Multi Output Power Supply, Part Number: VDS 1001 056 81

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स वर्साबाइट डेटा सिस्टम्स (पी) लिमिटेड,** सं. 24/6, 20 मेन, 1 आर ब्लॉक राजाजीनगर, बेंगलूरु – 560 010, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित **"मल्टी आउटपुट पॉवर सप्लाई"** पार्ट सं. वीडीएस 1001 056 81, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1141, दिनांक 22 जुलाई 2005, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1141 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1141/1आर, दिनांक 15 जून 2011 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

*This is to state that the **"Multi Output Power Supply"**, bearing Part Number: VDS 1001 056 81, designed, developed and manufactured by **M/s Versabyte Data Systems (P) Limited,** No. 24 / 6, 20th Main, 1st R Block Rajajinagar, Bengaluru – 560 010 was issued with Type Approval No.:1141 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA–1141, dated: 22nd July 2005. Subsequently it was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA – 1141/1R, dated: 15th June 2011 with validity up to 30th June 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 अक्तूबर 2017** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **30 सितम्बर 2022** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (हैदराबाद),** द्वारा एच ए एल, हैदराबाद, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. ***01st October 2017*** *based on the satisfactory performance feedback and is valid up to* ***30th September 2022*** *unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request* ***RCMA (Hyderabad)****, C/o HAL, Hyderabad,* ***three (03) months*** *before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए–1141, दिनांक 22 जुलाई 2005 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद **पाँच** (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1141, dated: 22nd July 2005 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification ***(CEMILAC),*** *Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं ./ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA–1141/ 1A/2R
दिनांक / Date : 12 October 2017
फैक्स सं. / Fax No.: 080–25230856

10/x/17 12/10

पी जयपाल / **P.JAYAPAL**
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)